

# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) बी के तहत  
अनुमति वाद संख्या -आर. एम. 84 /2022-23

धन्नजय महतो वगैरह.....विक्रेता

बनाम

गोपाल महतो.....क्रेता

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

03.11.2022

विक्रेता का नाम एवं पता- धन्नजय महतो वो गंभीर महतो दोनों पिता-स्व० जगन्नाथ महतो दोनों निवास ग्राम-लान्दुपडीह, पो०-लान्दुपडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी।

क्रेता का नाम एवं पता:-गोपाल महतो पिता-रामेश्वर महतो, निवास ग्राम-जाहेरडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री अनूप कुमार जयसवाल।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/09/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत क्रेता गोपाल महतो पिता-रामेश्वर महतो, निवास ग्राम-जाहेरडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-जाहेरडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, थाना सं०-49

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
14	127	62.5 डीसमील	उ०-सुरेन्द्र नाथ महतो द०-रूपचांद महतो वो शीतोला देवी पू०-घनश्याम महतो प०-स्व० डोमन कारजी

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक-501 (11) दिनांक 30/09/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत जोधा महतो पिता-बुधु महतो वो सहजा महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. पंजी-11 के अनुसार रैयत का नाम लगनी वालो देवी पति जगरनाथ महतो दर्ज है।
3. पंजी-11 रैयत के साथ आवेदक का पुत्र का संबंध है।
4. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़ तीन किस्म है।
5. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को जरूरी कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
6. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
7. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।



03/11/2022

8. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
9. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदिम भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
10. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
11. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
12. आवेदक की बिक्री के पश्चात भी पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता धन्नजय महतो वो गंभीर महतो दोनों पिता-स्व० जगन्नाथ महतो दोनों निवास ग्राम-लान्दुपडीह, पो०-लान्दुपडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी ने क्रेता/विपक्षी गोपाल महतो पिता-रामेश्वर महतो, निवास ग्राम-जाहेरडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 16/09/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता धन्नजय महतो वो गंभीर महतो दोनों पिता-स्व० जगन्नाथ महतो दोनों निवास ग्राम-लान्दुपडीह, पो०-लान्दुपडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी को क्रेता/विपक्षी गोपाल महतो पिता-रामेश्वर महतो, निवास ग्राम-जाहेरडीह, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी पेशा-खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-जाहेरडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, थाना सं०-49

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
14	127	62.5 डीसमील	उ०-सुरेन्द्र नाथ महतो द०-रूपचांद महतो वो शीतोला देवी पू०-घनश्याम महतो प०-स्व० डोमन कारजी

लेखापित एवं सशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बुण्डू।